

(131)

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.9, राजमहल ऐजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक : DLB/STP/SLC/CILU/14/ 47

दिनांक : 18/12/2014

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 अधिसूचना क्रमांक प.10 (35) नविदि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के नियम 6-ड में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त नियम के अन्तर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक: DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों के शहरों में स्थित नगरीय-निकायों (नगर निगम/परिषद/पालिका) के क्षेत्र में स्थित प्रकरणों का निस्तारण प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ही किया जावेगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

दिनांक : 18/12/2014

क्रमांक : DLB/STP/SLC/CILU/14/48 - 91

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर निदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
11. सचिव, नगर विकास न्यास (समाप्त)।
12. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
13. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट (www.lsgraj.org) पर अपलोड करावें।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

(313)